राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कनवरलाल बनाम चौथमल

तारीख हुक्म	86/2010 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 03/02/2026 को पेश हो।	
03/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/03/2010 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 77/3 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नम्बर 71 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, वादी की भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की कब्जेशुदा आराजी खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 77/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ़ में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को फसल बोने की अनुमति प्रदान करते हुए उभयपक्षों को विवादित आराजीयात पर कच्चा व पक्का निर्माण नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/03/2010 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से किया गया विवेचन एवं उसके परिणामस्वरूप प्रदान किया अनुतोष में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अपीलार्थी अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को साबित करने में असफल रहे है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/03/2010 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	